

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),
सभी कार्यापालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 09/01/26

विषय:- BBAS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने एवं वेतन भुगतान के संबंध में।
 प्रसंग:- गृह विभाग का परिपत्र सं0-8926 दिनांक-12.08.2022, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-15498, दिनांक-01.09.2022, परिपत्र सं0-19930, दिनांक-12.12.2024 एवं पत्रांक-9630 दिनांक-01.06.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4754, दिनांक-31.12.2007 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में छः(06) दिवसीय कार्य सप्ताह कार्य प्रणाली लागू की गयी, जिसमें कार्यालय अवधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित करते हुये मध्याह्न भोजन का समय 01:30 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में प्रासंगिक पत्रों के आलोक में विभाग के अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को BBAS (Bihar Biometric Attendance System) के माध्यम से ससमय शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में कई बार निदेश प्रचारित किये गये हैं। उक्त निदेश के बावजूद भी अधिकांश पदाधिकारी एवं कर्मचारी विलम्ब से कार्यालय आते हैं, जो खेदजनक एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-19930, दिनांक-12.12.2024 द्वारा निम्न निदेश संसूचित है:-

4. उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
5. उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलम्ब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0-16458, दिनांक-12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य अवकाशों को समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हों, उनके विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलम्ब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाए। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट विभागाध्यक्ष प्रदान कर सकेंगे।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।

उक्त वर्णित निदेशों के बावजूद भी अधिकतर पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा कार्यालय अवधि में ससमय उपस्थिति/ससमय कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता

है अथवा कार्यालय में ससमय उपस्थिति के बावजूद भी कार्यालय अवधि में सरकारी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-6883(भ) दि०-23.07.2026 एवं पत्रांक-7389(भ) दि०-07.08.2026 द्वारा सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित) एवं सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित) को अपने कार्यालय में निश्चित रूप से बायोमेट्रिक मशीन अधिष्ठापित करते हुए स्वयं एवं कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा निश्चित रूप से ससमय उपस्थिति दर्ज करने एवं दिनांक-01.08.2026 से BBAS (Bihar Biometric Attendance System) के माध्यम से दर्ज उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का वेतन भुगतान करने का निदेश दिया गया है।

विदित हो कि विद्युत उपभाग में कई अभियंता (विद्युत अधीक्षण अभियंता एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता) कई कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी है। जो अभियंता अतिरिक्त प्रभार में है, वे भी निश्चित रूप से जिस कार्यालय में जिस दिन उपस्थित रहते हैं, वे उसी कार्यालय में BBAS (Bihar Biometric Attendance System) के माध्यम से ससमय उपस्थिति दर्ज करेंगे। अतिरिक्त प्रभार वाले अभियंता (असैनिक/विद्युत/यांत्रिक) एवं पदाधिकारी/कर्मियों पर उक्त प्रावधान लागू होंगे।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र सं०-9630, दिनांक-01.06.2026 के आलोक में पुनः निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्यालयों में अधिष्ठापित बायोमेट्रिक मशीन में स्वयं एवं आपके कार्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा निश्चित रूप से ससमय उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही BBAS (Bihar Biometric Attendance System) के माध्यम से दर्ज उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर ही सभी पदाधिकारियों/कर्मियों का वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

[Signature]